

**बिहार सरकार**

**गृह विभाग**

**अधिसूचना**

पटना, दिनांक - 07 अप्रैल, 2016

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 2744 / श्रीमती निताशा गुड़िया, भा0पु0से0 (2008), पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-13, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 2745 / श्री रवि रंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012), नगर पुलिस अधीक्षक, गया (अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-03, बोध गया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 2745 / पटना, दिनांक - 07 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 2745 / पटना, दिनांक - 07 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 2745 / पटना, दिनांक - 07 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना / मुख्य मंत्री के सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / सभी महानिदेशक / सभी अपर पुलिस महानिदेशक / सभी पुलिस महानिरीक्षक, प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय / सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, क्षेत्र एवं मुख्यालय / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षावाहिनी / संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-2), गृह विभाग / आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (website : www.home.bih.nic.in) पर दर्शाने हेतु / प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2 एवं 5, गृह (आरक्षी) विभाग को रक्षित संचिका में संधारण हेतु / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि गत्यादेश तुरंत निर्गत करने की कृपा की जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव